देहरादून, शुक्रवार 10 जनवरी, 2020
पेज 8
हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

कॉलेज की मनमानी पर डीएम को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता देहरादून। एबीवीपी ने डोईवाला एक के प्राइवेट कॉलेज पर अवैध फीस वसूली का आरोप लगाया है। इस संबंध में संगठन से जुड़े छात्रों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। गुरूवार को डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पारस गोयल के नेतृत्व में छात्र डीएम कार्यालय पहुंचे। पारस गोयल ने कहा कि लालतप्पड़ स्थित कॉलेज में कई वर्षों से छात्रों का आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। वहां पर न ही फीस के लिए कोई नियम–कायदे नहीं हैं। लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति भी नहीं लगती।

मसूरी विधायक ने की गोवा के सीएम से शिष्टाचार मुलाकात

संवाददाता देहरादून। प्रत्येक वर्ष 09 जनवरी को गोवा में विधायिका दिवस मनाया जाता है, जिसमें गोवा राज्य के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद एवं पूर्व सांसद प्रतिभाग करते हैं। गोवा में यह आयोजन 1987 से लगातार आयोजित होता आ रहा है। गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर के आमंत्रण पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने वीरवार को आयोजित हुए गोवा विधायिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित होकर गोवा के मुख्यमंत्री डा. प्रमोद सावंत ने शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ एवं टोपी भेंट की।

जमीनी संघर्ष के लिए किशोर उपाध्याय का सम्मान

संवाददाता देहरादून। राजस्थान की स्वयंसेवी सामाजिक संस्था तरुण भारत ने किशोर उपाध्याय को उनके जमीनी संघर्ष के लिए 15 जनवरी को भीकुपुरा, अलवर में सम्मानित करने का निर्णय लिया है। किशोर उपाध्याय को सम्मान देने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र अरुण गांधी व प्रपोत्र तुषार गांधी सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे।

35 विद्यालयों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का विधिवत् संचालन शुरू करें

निर्देश

बन्द पड़े बेसिक स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक

स्मार्ट कक्षाओं का भौतिक निरीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त करने के निर्देश

संवाददाता

देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में जनपद में बन्द पड़े बेसिक स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग और बाल विकास के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

बन्द पड़े बेसिक स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी।

जिलाधिकारी ने बेसिक जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में कम छात्र संख्या के कारण बन्द अथवा मर्ज किये गये कुल 70 विद्यालयों में 35 ऐसे विद्यालय जो सही दशा में हैं और जिनको बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में संचालन हेतु हस्तांतरित किया जाना है, उनको 26 जनवरी तक हस्तांतरित करने की कर्यवाही पूर्ण करें साथ ही उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को भी निर्देश दिये कि इन 35 विद्यालयों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का विधिवत् संचालन शुरू करें और शेष 35 ऐसे विद्यालय जहां कुछ में भवन क्षतिग्रस्त हैं अथवा आबादी से दूर हैं या पहले से ही वहां आंगवाड़ी केन्द्र बने हुए हैं, उनका एकबार परीक्षण करते हुए इस बात की आख्या दें कि जहां नये भवन निर्माण की जरूरत है अथवा क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मंत कर उसमें आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो सकता है इत्यादि के सम्बन्ध में प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को सीएसआर और एमएसआर के माध्यम से शिक्षा विभाग, बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, इत्यादि द्वारा आदर्श विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, मोरल पुलिस, स्टेशन इत्यादि के निर्माण और संचालन के लिए वित्तीय आपूर्ति हेतु एक संयुक्त पोर्टल बनाने के निर्देश दिये, जिससे आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों को महिलाओं, बच्चों, बजुर्गों, दिव्यांगजनों सहित सामान्यजन के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने गत वर्ष जनपद में विभिन्न स्थानों पर खनन निधि से श्रमिकों, निराश्रितों एवं गरीब–वंचित बच्चों के शिक्षा के लिए शुरू की गयी स्मार्ट कक्षाओं का फीडबैक प्राप्त करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को प्रत्येक विकासखण्ड के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए इन स्मार्ट कक्षाओं का भौतिक निरीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिये, ताकि तद्नुसार इस सम्बन्ध में कार्य किया जा सके।

डीएम ने प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 40 हजार बच्चों को मिड्–डे–मिल के माध्यम से दिये जाने वाले भोजन में विविधत का निर्धारण करते हुए सप्ताह में अलग–अलग प्रकार के पौष्टिक, स्थानीय स्तर पर सुलभ होने वाले तथा बच्चों द्वारा पसंद किये जाने वाले व्यंजन मेन्यु में शामिल करने के निर्देश बेसिक शिक्षाधिकारी को दिये।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के सम्बन्ध में बैठक

संवाददाता देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में शिक्षा विभाग की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने आगामी प्रवेश सीजन में मान्यता प्राप्त निजी एवं अशासकीय विद्यालयों में गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों हेतु छोटी कक्षाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के अन्तर्गत हरहाल में 25 प्रतिशत् प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को शिक्षा विभाग के समन्वय से गरीब बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश कराने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को भी मॉनिटिरिंग और भौतिक सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित करने को कहा। उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारी को जनपद के सभी विद्यालयों की 25 प्रतिशत् आरक्षण के अनुसार जितनी सीटें बनती है उसके अनुसार कितने विद्यालयों ने कितना प्रवेश दिया गया है तथा जो विद्यालय प्रवेश देने में हीलाहवाली करतें हैं उन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने ऐसे विद्यालयों को व्यय–प्रतिपूर्ति हेतु सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली धनराशि को भी समय से जारी करने के निर्देश दिये।

प्राचार्यों को गेस्ट फैकल्टी रखने का अधिकार

संवाददाता देहरादून। राज्य सरकार ने शासकीय महाविद्यालय में पढ़ाई सुचारु रखने के लिए प्राचार्यों को गेस्ट फैकल्टी रखने का अधिकार दे दिया है। लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकेगी। सात में से छह प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। सरकारी महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 357 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग से भर्ती में देरी के कारण प्राचार्यों को गेस्ट फैकल्टी रखने का अधिकार दिया गया। कोई प्रोफेसर अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर होंगे तो इन पदों पर जल्द गेस्ट फैकल्टी तैनात हो सकेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक ही प्राचार्य अर्ह असिस्टेंट प्रोफेसर रखेंगे।

किसानों के गन्ने का भुगतान शीघ्र करे सरकार

चेतावनी

- किसान यूनियन ने भी खोला गंगा के नाम पर घोटाले के खिलाफ मौर्चा

देहरादून। **संवाददाता**

भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने उत्तराखण्ड सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि सरकार कई सालों से किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी की अगर गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो हाईवे जाम किया जायेगा। उन्होंने नमामि गंगे में हो रहे घोटालों पर भी सरकार से सीबीआई व सीआईडी जांच की मांग की। तोमर ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तोमर ने कहा कि उत्तराखण्ड के किसानों के गन्ने का भुगतान हरिद्वार जनपद की कई मिले वर्षो से नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। उन्होंने मिलों पर घटतौली का भी आरोप लगाया। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने का भी मामला पत्रकार वार्ता के दौरान उठाया। तोमर ने कहा कि गंगा की सफाई तक में सरकारी अधिकारी घोटाले कर रहे हैं। प्रदेश में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करोड़ो के घोटाले किये गये है। उन्होंने पेयजल निगम के एमडी भजन सिंह पर आरोप लगाया कि वह इस घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट की क्वालिटी इतनी घटिया है कि जिसके कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला कैमिकल युक्त पानी गंगा में जा रहा है जिससे सिंचाई करने पर किसानों की जमीनों की पैदावार क्षमता पर असर पड़ रहा है।

गन्ने भुगतान को लेकर पत्रकार वार्ता करते भारतीय किसान यूनियन के लोग।

एक किलो गांजा समेत एक गिरफ्तार

संवाददाता देहरादून। चौकी बाजार पुलिस ने 1 किलो 175 ग्राम गांजे समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

सीओ अनुज कुमार ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि ब्रह्मपुरी के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। आरोपी मादक पदार्थ की डिलीवरी करने पहुंचा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी नवीन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ब्रह्मपुरी के समीप से संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली। व्यक्ति के पाससे पुलिस ने 1 किलो 175 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राम अवतार साहनी पुत्र फकीरा साहनी निवासी गोरियारी मुस्तफापुर थाना बिशनपुर दरभंगा बिहार हाल निवासी ट्यूबवेल नंबर 4 ब्रह्मपुरी बताया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

समस्याओं का समाधान पाएं

देहरादून। हर्रावाला स्थित नगर निगम के जोनल कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।